जगदीश – उपखण्ड अधिकारी 31/15

दिनांक	आज्ञा पत्र
22.2.18	पत्रावली पेश। [illegible] उभय पक्ष [illegible] वास्ते बहस [illegible] को पेश हो
3.4.18	पत्रावली पेश। [illegible] उभय पक्ष उप वास्ते बहस [illegible] 31.5.18 को पेश हो
31.5.18	पत्रावली [illegible] उभय पक्ष उप वास्ते बहस [illegible] 8 को पेश हो
14-6-18	बार-बार आवाज दिलाई गई [illegible] अपीलार्थी एवं अपीलार्थी [illegible] वकील [illegible] आये अतः अदम हाजरी एवं अदम पैरवी साबित होने से अपील खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official